*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/बजट–14–13/19 /59 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–03/01/2020

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 001– निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष– 0007–भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०), विपत्र कोड सं०– 48-2217800010007 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में उपबंधित कुल ₹79.02000 लाख (उनासी लाख दो हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष– 0007–भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०), विपत्र कोड सं०– 48-2217800010007 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में उपबंधित राशि में से प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल ₹79.02000 लाख (उनासी लाख दो हजार रु०) मात्र भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०) के लिए निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	कुल स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*
1	0007.0101–वेतन	48.00000
2	0007.0103–जीवन यापन भत्ता	10.80000
3	0007.0104–मकान किराया भत्ता	8.20000
4	0007.0106–चिकित्सा भत्ता	1.00000
5	0007.2802–संविदा सेवायें	11.02000
	कुल योग	**79.02000**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹79.02000 लाख (उनासी लाख दो हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–3 में स्वीकृत राशि की निकासी निबन्धक–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि का व्यय भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०) में पदस्थापित

पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य मदों पर किया जायेगा। उक्त राशि किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

3. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 687, दिनांक– 19.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०– **48-2217800010007** मांग सं०– 48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक– 31.03.2020 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बजट–14–13/19 के पृष्ठ सं०– 20 /टि० पर दिनांक– 3.1.20 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 21 /टि० पर दिनांक– 3.1.20 को प्राप्त है।

7. इसकी सूचना वित्त (बजट शाखा) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं निबंधन–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०) को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.01.2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–13/19 159 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–03/01/2020

प्रतिलिपिः– वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निबन्धक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०)/सदस्य (वित्त) भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर०ई०ए०टी०), पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एंव आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

03.01.2020

सरकार के विशेष सचिव।